



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]
No. 146]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 2002/आषाढ़ 26, 1924
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 17, 2002/ASADHA 26, 1924

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2002

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी उपदान एवं अधिवर्षिता निधि (संशोधन) विनियम, 2002

एच.आरडीडी सं. 1995(3)/स्टाफ-जनरल (2).—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक मण्डल एतद्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी उपदान एवं अधिवर्षिता निधि विनियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1 (1) इन विनियमों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी उपदान एवं अधिवर्षिता निधि (संशोधन) विनियम, 2002 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी उपदान एवं अधिवर्षिता निधि विनियम, 2000 (एतदपरचात् मुख्य विनियम के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) में :

(क) मुख्य विनियम के विनियम 2 में :—

(i) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(घ) 'अधिवर्षता लाभों' में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि, जब भी यह प्रभावी हो, यथा स्थान, या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन निधि में किए जाने वाले अंशदान समाहित नहीं हैं।

(ख) मुख्य विनियम के विनियम 3 में :—

(i) खण्ड (क) से 'पेंशन' हटा दिया जाएगा।

(ii) खण्ड (ग), (घ), एवं (ड) छोड़ दिए जाएंगे।

(iii) खण्ड (च), के उप-खण्ड (iii) से 'पेंशन' शब्द हटा दिया जाएगा।

(घ) विनियम 6 की उपधारा (क) को हटा दिया जाएगा।

पी.बी. निम्बालकर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

[विज्ञापन-III/IV/139/2002/असा.]

Small Industries Development Bank of India

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2002

Small Industries Development Bank of India Employees' Gratuity and Superannuation Fund (Amendment) Regulations, 2002

HR DD No. 1995(3)/STAFF. GEN(2).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989) the Board of Directors of Small Industries Development Bank of India hereby makes the following amendments to the Small Industries Development Bank of India Employees' Gratuity and Superannuation Fund Regulations, 2000, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Small Industries Development Bank of India Employees' Gratuity and Superannuation Fund (Amendment) Regulations, 2002.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Small Industries Development Bank of India Employees' Gratuity and Superannuation Fund Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the principal regulation):
 - (a) In Regulation 2 of the principal regulation :—
 - (i) for clause (d), the following shall be substituted, namely :—
 - (d) "Superannuation benefits" do not include contributions to the Industrial Development Bank of India Employees' Provident Fund or the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund, as and when it comes into force, as the case may be or the Small Industries Development Bank of India Pension Fund.
 - (b) in Regulation 3 of the principal regulation :—
 - (i) in clause (a) the word 'pension' shall be deleted.
 - (ii) clauses (c), (d) and (e) shall be omitted.
 - (iii) in sub-clause (iii) of clause (f), the word 'pension' shall be deleted.
 - (c) sub-clause (a) of Regulation 6, shall be omitted.

P. B. NIMBALKAR, Chairman and Managing Director

[ADVT III/IV/139/2002/Extry.]